पत्र संख्या–6 एस०एस०(6)03 / 2024–...4331/

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 12/ 08 / 2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रुपये 11496.50 लाख (एक अरब चौदह करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) मात्र जिसमें "राज्य स्कीम सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" से रुपये 5264.26 लाख तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कुल रुपये 6232.24 लाख (केन्द्रांश रुपये 3739.35 लाख एवं राज्यांश रुपये 2492.90 लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–477, दिनांक–12.02.2024 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल रुपये 11496.50 लाख (एक अरब चौदह करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) मात्र जिसमें "राज्य स्कीम सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" से रुपये 5264.26 लाख तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कुल रुपये 6232.24 लाख (केन्द्रांश रुपये 3739.35 लाख एवं राज्यांश रुपये 2492.90 लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की व्यय विवरणी–"क", "ख", "ग", "घ", "ङ", एवं "च" तथा विस्तृत व्यय विवरणी–01, 02 एवं 03 के रूप में संलग्न है।

2) इस योजना के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) उपलब्ध कराने के अवयव निम्नवत् है :–

(क) मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट का संचालन।
(ख) मोबाइल एप्प, राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर (टॉल फ्री नम्बर सहित) तथा जिला स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था।

 Typed by Sanjay Kumar

3) मोबाइल एप्प हेतु राशि की व्यवस्था पूर्व वर्ष में स्वीकृत योजना में की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में मोबाइल एप्प हेतु राशि प्रस्तावित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के संचालन तथा राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर (टॉल फ्री नम्बर सहित) तथा जिला स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था हेतु राशि प्रस्तावित है। मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट का संचालन हेतु विस्तृत व्यय विवरणी–01, राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर (टॉल फ्री नम्बर सहित) तथा जिला स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था हेतु विस्तृत व्यिय विवरणी–02 तथा समेकित विस्तृत व्यय विवरणी–03 संलग्न है।

4) पूर्व वर्ष की स्वीकृत योजना के अनुरूप ही वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना कार्यान्वित की जायेगी। योजना अन्तर्गत चालक–सह–परिचारी एवं पशु चिकित्सा सहायक की सेवा तथा अन्य अवयवों यथा– कॉल सेन्टर तथा जिला स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था इत्यादि बी०एल०डी०ए०, पटना के स्तर से चयनित आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से की जायेगी। पशु चिकित्सक की व्यवस्था विभाग/आउटसोर्सिंग एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

5) निविदा, आउटसोर्सिंग एजेंसी आदि के माध्यम से वास्तविक दर के अनुरूप योजना कार्यान्वयन पर व्यय किया जायेगा।

6) परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान किये जाने के पूर्व एजेंसी के द्वारा समर्पित सभी विपत्रों तथा प्राप्त की गयी सेवाओं/सामग्रियों/पशु दवाओं इत्यादि की पूर्ण जाँच से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7) इस योजनान्तर्गत विभिनन अवयवों में से किसी भी अवयव के लिये कर्णांकित राशि को दूसरे अवयव में आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा कर्णांकित किया जायेगा।

8) इस योजनान्तर्गत किसी भी अवयव में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर राज्य स्कीम (पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना) के तहत योजना स्वीकृत कर राशि का व्यय किया जायेगा।

9) योजना कार्यान्वयन के क्रम में व्यावहारिक कठिनाई आने की स्थिति में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार द्वारा यथा आवश्यक आंशिक संशोधन किया जायेगा।

10) योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु बी०एल०डी०ए०, पटना के द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार तथा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार के स्तर से निर्गत सभी दिशा–निर्देशों/कार्यान्वयन अनुदेशों एवं संगत वित्तीय प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

11) इस योजना के तहत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे।

12) योजना कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम सात निश्चय–2 के तहत उक्त राशि की निकासी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना के द्वारा समाहरणालय कोषागार, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०), पटना के पी०एल० खाता (संख्या–PBBPLA028) में अंतरित कर योजना कार्यान्वयन पर नियमानुसार व्यय किया जोगा।

13) योजना कार्यान्वयन हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम" के तहत केन्द्रांश (समतुल्य राज्यांश सहित) में स्वीकृत राशि का अव्यय "Just-in-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F.No. 1(27)/PFMS/2020, दिनांक–13.07.2023 एवं Office Memorandum F. No. 1/(27)/PFMS/2020, दिनांक–07.08.2023 में अंकित प्रावधानों तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

14) वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजना अन्तर्गत व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष के तहत विभिन्न विषय शीर्षों से किया जाना है :–

(i) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0108–पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय--2, विपत्र कोड 02–2403001010108.

(ii) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0112 –पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2403007890112.

(iii) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0131–पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2403007960131.

(iv) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0203 –राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय) विपत्र कोड 02–2403001010203.

(v) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक की योजना, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0209

–राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय) विपत्र कोड 02–2403007890209.

(vi) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, माँग संख्या–02, उप शीर्ष–0232 –राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एमवीयू के संचालन हेतु आवर्ती व्यय) विपत्र कोड 02–2403007960232.

15) वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु ''राज्य स्कीम सात निश्चय–2'' तथा केन्द्र प्रायोजित योजना ''राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' के तहत केन्द्रांश (समतुल्य राज्यांश सहित) अन्तर्गत सभी घटकों यथा–सामान्य घटक, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक तथा जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत आवश्यकतानुसार विभिन्न विपत्र कोड एवं विषय शीर्षों में अतिरिक्त राशि की व्यवस्था अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। योजना अन्तर्गत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।

16) निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

17) चूँकि यह चालू स्कीम है तथा अवधि विस्तार से संबंधित है। इसलिए बिहार कार्यपालिका नियमावली (संशोधन) 2007 के नियम–21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची–'क' के उप नियम–4 एवं नियम–ग(2) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस चालू स्कीम का पद सहित अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)03/2024 के पृष्ठ–121/टि० एवं दिनांक–05.08.2026.

18) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)03/2024 के पृष्ठ–111/टि० एवं डायरी संख्या–255, दिनांक–20.04.2026.

19) वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–4331 /पटना–15, दिनांक– 12 / 08 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–4331 /पटना–15, दिनांक– 12 / 08 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–4331 /पटना–15, दिनांक– 12 / 08 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–4331 /पटना–15, दिनांक– 12 / 08 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–4331 /पटना–15, दिनांक– 12 / 08 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखापरीक्षा नियंत्रक, कार्यालय महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024–4331 /पटना–15, दिनांक– 12 / 08 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त 05 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024– 4331 /पटना–15, दिनांक– 12 / 08 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)03/2024– 4331 /पटना–15, दिनांक– 12 / 08 /2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"क"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी **(राज्य स्कीम)**।

सामान्य घटक (विपत्र कोड 02–2403001010108)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0108.2802 –संविदा सेवाएँ	**2534.28**	निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार।
2	0108.3106 –सहायक अनुदान– गैर वेतन	**1860.48**		
	कुल –	**4394.76**		

रुपये (एक तैंतालीस करोड़ चौरानवे लाख छिहत्तर हजार) मात्र।

4331
12/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"ख"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी **(राज्य स्कीम)**।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (विपत्र कोड 02–2403007890112)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0112.2802 –संविदा सेवायें	**487.88**	निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार।
3	0112.3106 –सहायक अनुदान– गैर वेतन	**355.35**		
	कुल –	**843.23**		

रुपये (आठ करोड़ तैंतालीस लाख तेईस हजार) मात्र।

4331
12/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"ग"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी **(राज्य स्कीम)**।

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (विपत्र कोड 02–2403007960131)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि कुल योग	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0131.2802 –संविदा सेवाएँ	**15.35**	निदेशक, पशुपालन, बिहार / निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना / विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना / सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / सभी जिला कोषागार।
3	0131.3106 –सहायक अनुदान– गैर वेतन	**10.92**		
	कुल –	**26.27**		

रुपये (छब्बीस लाख सत्ताईस हजार) मात्र।

4331
12/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"घ"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी (केन्द्रांश 60 प्रतिशत + राज्यांश 40 प्रतिशत)।

सामान्य घटक (विपत्र कोड 02–2403001010203)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	6	7	8
1	0203.2802 –संविदा सेवाएँ	**2535.69**	निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार।
2	0203.3106 –सहायक अनुदान– गैर वेतन	**1851.49**		
कुल –		**4387.18**		

रुपये (तैंतालिस करोड़ सतासी ला लाख तिहत्तर हजार मात्र)

4331
12/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"ङ"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी (केन्द्रांश 60 प्रतिशत + राज्यांश 40 प्रतिशत)।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (विपत्र कोड 02–2403007890209)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*6*	*7*	*8*
1	0209.2802 –संविदा सेवायें	**751.24**	निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार।
2	0209.3106 –सहायक अनुदान– गैर वेतन	**535.44**		
	कुल –	**1286.68**		

4331
12/8/26

(रुपये बारह करोड़ छियासी लाख अड़सठ हजार मात्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय विवरणी–"च"

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी (केन्द्रांश 60 प्रतिशत + राज्यांश 40 प्रतिशत)।

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (विपत्र कोड–02–2403007960232

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृत हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0232.2802 –संविदा सेवायें	332.92	निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सिमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार।
2	0232.3106 –सहायक अनुदान– गैर वेतन	225.46		
	कुल –	**558.38**		

(रुपये पाँच करोड़ अन्ठावन लाख अड़तीस हजार मात्र)

व्यय का सारांश		
क्र०सं०	व्यय विवरणी	प्रस्तावित राशि (लाख रूपये में)
1	"क"	4394.76
2	"ख"	843.23
3	"ग"	26.27
4	"घ"	4387.18
5	"ङ"	1286.68
6	"च"	558.38
	कुल योग :–	**11496.50**

रुपये (एक अरब चौदह करोड़ छियानवे लाख पचास हजार) मात्र।

4331
12/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव

विस्तृत व्यय विवरणी – 01

"आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मोबाईल पशु चिकित्सा यूनिट के संचालन पर अनुमानित व्यय की विवरणी।

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विवरण	प्रति माह/प्रति वर्ष	दर (रुपये में)	पदों की संख्या	माह की संख्या	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित राशि			
						कुल अनुमानित व्यय	राज्य स्कीम सात निश्चय–2	केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)
1	534 पशु चिकित्सक	प्रति माह	*57,780.00	307.00	5.00	997.75	** 110.83	532.15	354.77
			*59,510.00	307.00	7.00	1396.85	** 117.98	767.32	511.55
			*65,000.000	227.00	12.00	1770.60	1770.60		
2	534 पशु चिकित्सा सहायक	प्रति माह	*20,000.00	307.00	12.00	736.80		442.08	294.72
				227.00	12.00	544.80	544.80		
3	534 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट हेतु चालक सह परिचारी	प्रति माह	*18,000.00	307.00	12.00	663.12		397.87	265.25
				227.00	12.00	490.32	490.32		
4	534 मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के परिचालन हेतु (वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव)	प्रति माह	*30,000.00	307.00	12.00	1105.20		663.12	442.08
				227.00	12.00	817.20	817.20		
5	मेडिसिन एवं नॉन मेडिसिनल	प्रति माह	35,000.00	307.00	12.00	1289.40		773.64	515.76
				227.00	12.00	953.40	953.40		
6	प्रति मोबाइल रिचार्ज हेतु राशि	प्रति वर्ष	2,000.00	534.00	–	10.68	10.68		
7	आउटसोर्सिंग एजेंसी का सेवा शुल्क अनुमानित 6 प्रतिशत (घट–बढ़ सकता है)	–	–	–	–	396.01	182.07	128.37	85.58
	कुल अनुमानित व्यय (लाख रुपये में)					**11172.13**	**0.00**	**3704.55**	**2469.71**

*** भारत सरकार के द्वारा तय किये गये मानक के अनुरूप।**

**** राज्य स्कीम–सात निश्चय–2 से Top upकी राशि।**

4331
12/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव

विस्तृत व्यय विवरणी – 02

"आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल सेन्टर, टेलीमेडिसिन, जिला स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था पर अनुमानित व्यय की विवरणी।

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	विवरण	प्रति माह/प्रति वर्ष	दर (रुपये में)	पदों की संख्या	माह की संख्या	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित राशि			
						कुल अनुमानित व्यय	राज्य स्कीम सात निश्चय–2	केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)
1	पशु चिकित्सक	प्रति माह	* 57,780.00	4	5	13.00	** 1.44	6.93	4.62
			*59,510.00	4	7	18.20	** 1.54	10.00	6.67
2	कॉल सेंटर एक्सीक्यूटिव	प्रति माह	* 18,000.00	12	12	25.92	-	15.55	10.37
3	कॉल सेंटर हेतु कार्यालय व्यय	प्रति माह	10,000.00	-	12	1.20	0.60	0.36	0.24
4	कॉल सेंटर के संचालन हेतु आवर्ती व्यय	प्रति माह	1,65,000.00	-	-	19.80	19.80	-	
5	जिला स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था (38 जिलों के लिए)	प्रति माह	50,000.00	38	12	228.00	228.00	-	
6	आउटसोर्सिंग एजेंसी का सेवा शुल्क अनुमानित 6 प्रतिशत (घट–बढ़ सकता है)	-	-	-	-	18.25	15.00	1.95	1.30
					कुल अनुमानित व्यय (लाख रुपये में) :–	**324.37**	**266.38**	**34.79**	**23.20**

*** भारत सरकार के द्वारा तय किये गये मानक के अनुरूप।**

**** राज्य स्कीम–सात निश्चय–2 से Top upकी राशि।**

4331
12/8/26

सरकार के संयुक्त सचिव

"अरत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत "बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएँ" तथा केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने पर कुल अनुमानित व्यय की समेकित विवरणी :–

(राशि –लाख रुपये में)

क्र० सं०	कार्य मद	वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित राशि			
		कुल अनुमानित व्यय	राज्य स्कीम सात निश्चय–2	केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	केन्द्रांश (60 प्रतिशत)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के संचालन हेतु व्यय	11,172.13	4,997.88	3,704.55	2,469.70
2	कॉल सेन्टर, टेलिमेडिसीन तथा जिला स्तर पर प्रबंधन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था हेतु व्यय	324.37	266.38	34.79	23.19
कुल अनुमानित व्यय (लाख रुपये में) :–		**11,496.50**	**5,264.26**	**3,739.35**	**2,492.90**

सरकार के संयुक्त सचिव